

Government Tightens Foreign Funding Norms for NGOs Under FCRA



The Government's move to adopt more stringent guidelines for the use of foreign funding under the FCRA initiative is a positive move towards greater transparency and accountability in the use of foreign funding. The current strengthened measures in the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) would aim to alleviate the issues of misuse of foreign donations and also monitor the usage of funds and willber.

With foreign funding being pivotal to development projects and activities related to social, education, healthcare, etc., NGOs in India should be familiar with the changes in the framework and the new regulations for compliance. In this article, you will learn about the new changes, the implications, and what organizations must do to comply.

Key Highlights: Government Tightens Foreign Funding Norms

- Scores will be given to foreign contributions received by NGOs.
- Enhanced compliance and reporting requirements.
- Improved reporting on fund use.
- More bank account oversight for designated bank accounts.
- Incentive for better regulation from the authorities.
- Policies to deter the use of foreign money.
- NGOs need to have updated documentation and records.
- If the guidelines are breached, the training of FCRA may be suspended or cancelled.

What is FCRA?

Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) is a legislation governing the provision of foreign contribution to recipient associations, persons and non-governmental organizations (NGOs) in India.

The main thrust of FCRA is to safeguard national interest, public good and national security and democratic institutions from the negative impact of foreign funding. For this reason, an organization can't accept foreign monies without registering with FCRA and complying with the compliance measures.

Why Centre Tightens FCRA Rules, Imposes Stricter Compliance on NGOs

- Improve transparency on receiving and using foreign funds
- Do not accept foreign money for purposes other than for charity and development.
- Deter diversionary or misuse donation via over-sea agencies.
- Improve accountability of NGOs receiving foreign funds.
- Enhance monitoring of foreign-funded activities sector wise.
- Provide better tracking of funds flow by setting up dedicated FCRA bank accounts.
- Monitor compliance with on-going reporting and disclosure obligations.
- Help with national security; establish suspicious funding patterns.
- Encourage good governance and financial discipline of NGOs.
- Allow for efficient audits and inspections by authorities.
- Improve public confidence in organisations with foreign funding.
- Comply with overseas funding control and compliance requirements in accordance with the changing requirements.

FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) PYQs

Question	Options	Answer
1. What is the primary objective of the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)?	(A) Regulate foreign trade (B) Regulate foreign contributions to individuals and organizations (C) Promote exports (D) Regulate foreign tourism	(B) Regulate foreign contributions to individuals and organizations

**Current Affairs Capsule for 24 June 2026
(CLASS24)**

2. Which ministry administers the FCRA in India? (A) Ministry of Finance (B) Ministry of External Affairs (C) Ministry of Home Affairs (D) Ministry of Corporate Affairs **(C) Ministry of Home Affairs**
3. The current Foreign Contribution Regulation Act came into force in which year? (A) 1976 (B) 1980 (C) 2010 (D) 2015 **(C) 2010**
4. Which of the following organizations requires FCRA registration to receive foreign donations? (A) NGOs (B) Charitable Trusts (C) Societies (D) All of the Above **(D) All of the Above**
5. Under the FCRA Amendment Act, 2020, foreign contributions can be received only through which bank branch? (A) Any SBI Branch (B) SBI New Delhi Main Branch (C) RBI Branch (D) Any Nationalized Bank **(B) SBI New Delhi Main Branch**
6. Which of the following was prohibited under the FCRA Amendment Act, 2020? (A) Receiving donations (B) Transfer of foreign contribution to another NGO (C) Filing annual returns (D) Conducting audits **(B) Transfer of foreign contribution to another NGO**
7. What is the validity period of an FCRA registration certificate? (A) 3 Years (B) 5 Years (C) 10 Years (D) Lifetime **(B) 5 Years**
8. Which authority has the power to suspend or cancel FCRA registration? (A) Election Commission (B) RBI (C) Ministry of Home Affairs (D) NITI Aayog **(C) Ministry of Home Affairs**
9. FCRA regulates the acceptance of foreign contributions to ensure they do not affect: (A) National Interest (B) Sovereignty and Integrity of India (C) Democratic Processes (D) All of the Above **(D) All of the Above**
10. What is the maximum administrative expense limit under FCRA after the 2020 amendment? (A) 20% (B) 30% (C) 50% (D) 10% **(A) 20%**

Conclusion on MHA Notifies New FCRA Rules

The Government Tightens Foreign Funding Norms for NGOs under FCRA is an attempt to improve the transparency, accountability and responsible utilization of foreign funding for NGOs. The changes could present more compliance-related challenges for NGOs, but they will build greater confidence in the participation of non-state actors and raise the bar for governance quality in the sector. In the wake of the Government's tightening up of foreign funding norms for the NGO's, organisations need to make record-keeping, reporting and strengthening of internal controls a key priority. The adoption of these practices will permit NGOs to continue their development work without hindrance while being fully compliant with the ever changing regulatory framework.

Govt FCRA Monitoring, Tightens Rules for NGOs (FAQs)

What does FCRA stand for?

FCRA stands for the **Foreign Contribution Regulation Act**, which regulates foreign donations received by individuals and organizations in India.

Why has the government tightened foreign funding norms for NGOs?

The government aims to improve transparency, strengthen accountability, prevent misuse of foreign funds, and enhance regulatory oversight.

Who needs FCRA registration?

Any NGO or organization seeking to receive foreign contributions must obtain valid FCRA registration or prior permission.


What happens if an NGO violates FCRA rules?

Non-compliance may result in penalties, suspension, cancellation of registration, or other regulatory actions.

Can NGOs continue receiving foreign donations under the new norms?

Yes, NGOs can continue receiving foreign contributions provided they comply with all FCRA regulations and reporting requirements.

India's Major Reservoir Storage Falls to 28.28% of Total Capacity



The total storage in the major reservoirs of India has decreased to 28.28% while the water supply has taken a turn for the worse. It revealed that India has experienced a decrease in the total storage of its major reservoirs to 28.28% of their total capacity, emphasizing the growing concern regarding water availability in the country. Reservoirs are considered to be an important resource for irrigation, potable water supply, generation of hydropower, and flood control. Hence, when the major reservoir storage of India is reduced to 28.28% of the total storage, the government, farmers, and water resource managers keep a watch on it. The current water-storages show considerable water stress levels already, prior to the monsoon rain filling water pools. This means that a number of states will have to implement alternatives of water conservation and efficient water resource management.

Key Highlights: India's Major Reservoir Storage Falls

- The current reservoir storage is 28.28% of the total storage.
- If storage levels are reduced it can impact irrigation operations.
- In some areas, water supply might be challenged due to insufficient supplies.
- The amount of hydropower produced may be hampered if water is not high enough.
- Reservoir recharges will be very important with monsoon rains.
- Water conservation measures are all the more relevant.

Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

- Reservoirs are used for potable water, industries, and agriculture.
- Storage continues to be monitored in each of the major river basins.

What Are Major Reservoirs?

Major reservoirs are big water storage systems with dams and other water management facilities. These are reservoirs containing and holding the water flowing in rivers, rain and catchment.

They have some essential roles:

- Irrigation for agriculture
- Drinking water supply
- Hydropower generation
- Flood control
- Industrial water usage
- Environmental flow maintenance

Reservoirs, Dams & Water Resources, PYQs

Year	Exam	Question	Options	Answer
2024	SSC CGL	Which organization publishes the live storage status of major reservoirs in India?	(A) IMD (B) Central Water Commission (C) NITI Aayog (D) FCI	(B) Central Water Commission (CWC)
2023	UPSC Prelims	The Tehri Dam Project is located on which river?	(A) Alaknanda (B) Bhagirathi (C) Mandakini (D) Yamuna	(B) Bhagirathi
2023	SSC CHSL	Hirakud Dam is built across which river?	(A) Godavari (B) Krishna (C) Mahanadi (D) Tapi	(C) Mahanadi
2022	RRB NTPC	Bhakra Nangal Dam is constructed on which river?	(A) Ravi (B) Beas (C) Sutlej (D) Chenab	(C) Sutlej
2022	UPSC Prelims	Sardar Sarovar Project is associated with which river?	(A) Godavari (B) Narmada (C) Krishna (D) Mahi	(B) Narmada

Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

202 1	SSC CGL	Which is the longest dam in India?	(A) Tehri Dam (B) Hirakud Dam (C) Bhakra Dam (D) Idukki Dam	(B) Hirakud Dam
202 1	State PCS	Nagarjuna Sagar Dam is built on which river?	(A) Cauvery (B) Krishna (C) Godavari (D) Mahanadi	(B) Krishna
202 0	SSC GD	Which dam is known as the highest dam in India?	(A) Bhakra Dam (B) Tehri Dam (C) Hirakud Dam (D) Koyna Dam	(B) Tehri Dam
201 9	UPSC Prelims	Reservoirs are primarily important for which of the following?	(A) Irrigation (B) Hydropower (C) Drinking Water Supply (D) All of the Above	(D) All of the Above
201 8	SSC CPO	The Central Water Commission functions under which ministry?	(A) Ministry of Agriculture (B) Ministry of Jal Shakti (C) Ministry of Environment (D) Ministry of Rural Development	(B) Ministry of Jal Shakti

Conclusion on Water Levels in India's Key Reservoirs Fall to 28.28%

The decrease of India's Major Reservoir Storage to 28.28% of the total storage volume highlights the need for water management and timely monsoon rains. Reservoirs will continue to play a crucial role in all the main components of agriculture, drinking water, hydropower, and economic viability. This indicates that India's Major Reservoir Storage is depleted at 28.28% of its Total Storage capacity, and therefore, water conservation, water efficient utilization and long-term security measures must be put into place in a timely fashion by the governments, communities and water users. Reservoir levels can be improved with good practices and sufficient rainfall to continue meeting the country's increasing water demand.

India's Reservoir Storage Levels Drop to 28.28% FAQs

What does it mean that India's Major Reservoir Storage Falls to 28.28% of Total Capacity?

It means the combined water stored in major reservoirs is only 28.28% of their total designed storage capacity.

Why are reservoir levels important?

Reservoirs provide water for irrigation, drinking purposes, hydropower generation, industries, and environmental needs.

How can low reservoir storage affect farmers?

Lower storage can reduce irrigation availability, increase dependence on groundwater, and impact crop productivity.

What role does the monsoon play in reservoir storage?

Monsoon rainfall replenishes reservoirs and helps restore water levels for the upcoming agricultural and urban demand cycles.

Can low reservoir levels affect electricity generation?

Yes. Hydropower plants depend on reservoir water, and reduced storage may lower electricity generation capacity.

Bimal N. Patel Elected to Prestigious ITLOS Judicial Panel



A significant achievement for the international legal gaze of India as Bimal N. Patel is elected to the prestigious ITLOS Judicial Panel. The election is the result of India's international law and maritime governance expertise being recognised around the world. Bimal N. Patel has been

Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

elected to the prestigious ITLOS/ITLOS Judicial Panel, India's participation in one of the world's most significant judicial institutions that addresses maritime disputes and the law of the sea is enhanced.

Key Highlights: Bimal N. Patel Elected to Prestigious ITLOS

- Bimal N. Patel elected to ITLOS Judicial Panel
- The election increases India's representation in global maritime law
- Thus, ITLOS is vital for disputes under UNCLOS.
- The appointment is a testament of India's expanding footprint in international legal institutions.
- The panel on the judiciary deals with oceans, sea and ocean boundaries, and marine resources.
- The election is a global endorsement for Indian legal expertise.
- It adds to India's diplomatic and legal stature on the global stage.

Who is Bimal N. Patel?

- Bimal N. Patel is a prominent Indian jurist, academician and international law practitioner.
- Presently he is functioning as Vice-Chancellor of Rashtriya Raksha University.
- Member of United Nations International Law Commission (2023–2027).
- Director at Gujarat National Law University in 2008-2019.
- He is on the India National Security advisory board.
- His areas of expertise include international law, maritime law, ocean governance and dispute settlement.
- He has provided legal and maritime guidance to the Government of India as well as international bodies.
- He was elected to the International Tribunal for the Law of the Sea in June 2026 (for the term 2026–2035) as a Judge.
- The election of Mr. Harish Salve has been considered as a big achievement for Indian representation at international maritime law level.

What is ITLOS?

- International Tribunal for the Law of the Sea or ITLOS.
- This is a new treaty based system international court under the oceans convention (the united nations convention on the law of the sea, 1982(unclos)
- ITLOS was created in 1996 to resolve disputes under the UN Convention on the Law of the Sea.
- The tribunal is based in Hamburg, Germany.
- It is made up of a panel of 21 independent judges.
- The judges serve a 9-year term which can be renewed.

Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

- The ITLOS settles disputes relating to maritime boundaries, navigation rights, fisheries and the protection of marine environment.
- The tribunal deals with the International Seabed Area and resources of the deep-sea as well.
- It seeks to galvanize nations into resolving maritime disputes amicably.
- ITLOS is central to the development of international ocean governance and the rule of law at sea.

ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) PYQs

Year	Exam	Question	Options	Answer
2024	UPSC Prelims	The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) was established under which convention?	(A) UNFCCC (B) UNCLOS (C) CBD (D) Ramsar Convention	(B) UNCLOS
2023	SSC CGL	ITLOS is headquartered in which city?	(A) Geneva (B) New York (C) Hamburg (D) The Hague	(C) Hamburg
2023	State PCS	The International Tribunal for the Law of the Sea primarily deals with disputes related to:	(A) Air Space (B) Maritime Law (C) Human Rights (D) Trade	(B) Maritime Law
2022	UPSC Prelims	UNCLOS is commonly known as:	(A) Law of the Sea Convention (B) Climate Convention (C) Biodiversity Convention (D) Geneva Convention	(A) Law of the Sea Convention
2022	SSC CHSL	ITLOS is located in which country?	(A) France (B) Germany (C) Switzerland (D) Netherlands	(B) Germany
2021	RRB NTPC	How many judges serve in the International Tribunal for the Law of the Sea?	(A) 15 (B) 18 (C) 21 (D) 25	(C) 21
2021	State PSC	Judges of ITLOS are elected for a term of:	(A) 5 Years (B) 6 Years (C) 9 Years (D) 12 Years	(C) 9 Years

Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

2020	UPSC Prelims	Which of the following issues can be adjudicated by ITLOS?	(A) Maritime Boundaries (B) Fisheries Disputes (C) Marine Environment Protection (D) All of the Above	(D) All of the Above
2019	SSC CPO	The International Tribunal for the Law of the Sea became operational in:	(A) 1982 (B) 1990 (C) 1996 (D) 2000	(C) 1996
2018	State PCS	ITLOS is an independent judicial body established under:	(A) WTO Agreement (B) UNCLOS (C) UN Charter (D) IMF Charter	(B) UNCLOS

Conclusion on Bimal N. Patel Wins Election to ITLOS Bench

Bimal N. Patel Elected to Prestigious ITLOS Judicial Panel meaning one giant leap for the achievement of India in international law and maritime governance. It strengthens an international view that favors Indian jurisprudence and enhances India's credibility as a champion of the rules-based international order. India's growing voice to shape the evolution of maritime law and responding to emerging challenges in ocean governance gets a boost as Bimal N. Patel elected member of ITLOS' prestigious Judicial panel. This not only enhances India's maritime credentials on the international legal stage but also reinforces its wider maritime and diplomatic objectives.

Indian Jurist Bimal N. Patel Elected to ITLOS FAQs

Who is Bimal N. Patel?

Bimal N. Patel is an Indian legal scholar and expert in international law who has been elected to the ITLOS Judicial Panel.

What does ITLOS stand for?

ITLOS stands for the International Tribunal for the Law of the Sea.

What is the role of ITLOS?

ITLOS settles disputes related to maritime law, ocean governance, marine resources, and maritime boundaries.

Why is Bimal N. Patel's election important?

The election strengthens India's representation in international legal institutions and enhances its global legal standing.

Where is ITLOS located?

ITLOS is headquartered in Hamburg, Germany.

HINDI

सरकार ने एफसीआरए के तहत गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण के नियमों को सख्त किया



विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशी निधियों के उपयोग के लिए अधिक सख्त दिशानिर्देश अपनाने का सरकार का कदम, विदेशी निधियों के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में वर्तमान में किए गए सुदृढ़ उपायों का उद्देश्य विदेशी दान के दुरुपयोग की समस्याओं को कम करना और निधियों के उपयोग और प्रबंधन की निगरानी करना है।

भारत में सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा आदि से संबंधित विकास परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए विदेशी वित्त पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए गैर-सरकारी संगठनों को ढांचे में हुए परिवर्तनों और अनुपालन के लिए नए नियमों से परिचित होना चाहिए। इस लेख में, आप नए परिवर्तनों, उनके प्रभावों और संगठनों को अनुपालन के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे।

मुख्य बिंदु: सरकार ने विदेशी वित्तपोषण के नियमों को सख्त किया

- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदानों को अंक दिए जाएंगे।
- अनुपालन और रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं में सुधार।
- निधि के उपयोग पर बेहतर रिपोर्टिंग।
- निर्दिष्ट बैंक खातों के लिए बैंक खाते की निगरानी को और अधिक बढ़ाना।
- अधिकारियों द्वारा बेहतर नियमन के लिए प्रोत्साहन।
- विदेशी धन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए नीतियां।
- गैर सरकारी संगठनों को अद्यतन दस्तावेज़ और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है।
- यदि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो एफसीआरए का प्रशिक्षण निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

एफसीआरए क्या है?

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) भारत में प्राप्तकर्ता संघों, व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी अंशदान प्रदान करने से संबंधित एक कानून है।

एफसीआरए का मुख्य उद्देश्य विदेशी वित्तपोषण के नकारात्मक प्रभाव से राष्ट्रीय हित, जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करना है। इसी कारण, कोई भी संगठन एफसीआरए में पंजीकरण कराए बिना और अनुपालन उपायों का पालन किए बिना विदेशी धन स्वीकार नहीं कर सकता।

केंद्र सरकार ने एफसीआरए नियमों को सख्त क्यों किया और गैर सरकारी संगठनों पर सख्त अनुपालन क्यों लागू किया?

- विदेशी निधियों की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता में सुधार करें।
- दान और विकास के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा स्वीकार न करें।
- विदेशी एजेंसियों के माध्यम से किए जाने वाले दान के दुरुपयोग या हेराफेरी को रोकें।
- विदेशी निधि प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों की जवाबदेही में सुधार करें।
- विदेशी वित्त पोषित गतिविधियों की क्षेत्रवार निगरानी को बढ़ाएं।
- समर्पित एफसीआरए बैंक खाते स्थापित करके धन प्रवाह की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करें।
- चल रही रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण संबंधी दायित्वों के अनुपालन की निगरानी करें।

Current Affairs Capsule for 24 June 2026
(CLASS24)

- राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करना; संदिग्ध वित्तपोषण पैटर्न की पहचान करना।
- गैर सरकारी संगठनों के सुशासन और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करें।
- अधिकारियों द्वारा कुशल लेखापरीक्षा और निरीक्षण की अनुमति दें।
- विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करने वाले संगठनों में जनता का विश्वास बढ़ाएं।
- बदलते नियमों के अनुसार विदेशी वित्तपोषण नियंत्रण और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का पालन करें।

एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) पीवाईक्यू

सवाल	विकल्प	उत्तर
1. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?	(A) विदेशी व्यापार को विनियमित करना (B) व्यक्तियों और संगठनों को विदेशी अंशदान को विनियमित करना (C) निर्यात को बढ़ावा देना (D) विदेशी पर्यटन को विनियमित करना	(ख) व्यक्तियों और संगठनों को मिलने वाले विदेशी अंशदानों को विनियमित करना
2. भारत में एफसीआरए का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है?	(A) वित्त मंत्रालय (B) विदेश मंत्रालय (C) गृह मंत्रालय (D) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय	(सी) गृह मंत्रालय
3. वर्तमान विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ?	(ए) 1976 (बी) 1980 (सी) 2010 (डी) 2015	(सी) 2010
4. निम्नलिखित में से किस संगठन को विदेशी दान प्राप्त करने के लिए FCRA पंजीकरण की आवश्यकता होती है?	(A) गैर सरकारी संगठन (B) धर्मार्थ ट्रस्ट (C) समितियाँ (D) उपरोक्त सभी	(D) उपरोक्त सभी
5. एफसीआरए संशोधन अधिनियम, 2020 के तहत, विदेशी अंशदान केवल किस बैंक शाखा के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं?	(A) कोई भी एसबीआई शाखा (B) एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा (C) आरबीआई शाखा (D) कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक	(बी) एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा
6. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एफसीआरए संशोधन अधिनियम, 2020 के तहत प्रतिबंधित था?	(A) दान प्राप्त करना (B) विदेशी अंशदान को किसी अन्य गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित करना (C) वार्षिक रिटर्न दाखिल करना (D) लेखापरीक्षा करना	(ख) विदेशी अंशदान का किसी अन्य गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरण

Current Affairs Capsule for 24 June 2026
(CLASS24)

7. एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि क्या है? (A) 3 वर्ष (B) 5 वर्ष (C) 10 वर्ष (D) (बी) 5 वर्ष जीवनकाल
8. एफसीआरए पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है? (ए) चुनाव आयोग (बी) आरबीआई (सी) (सी) गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय (डी) नीति आयोग
9. एफसीआरए विदेशी अंशदानों की स्वीकृति को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निम्नलिखित को प्रभावित न करें: (A) राष्ट्रीय हित (B) भारत की संप्रभुता (D) उपरोक्त सभी और अखंडता (C) लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं (D) उपरोक्त सभी
10. 2020 के संशोधन के बाद एफसीआरए के तहत प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? (A) 20% (B) 30% (C) 50% (D) (ए) 20% 10%

गृह मंत्रालय द्वारा नए एफसीआरए नियमों की अधिसूचना पर निष्कर्ष

सरकार द्वारा एफसीआरए के तहत गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण नियमों को सख्त करना, गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण की पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार उपयोग को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। इन परिवर्तनों से गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुपालन संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी में विश्वास बढ़ेगा और इस क्षेत्र में शासन की गुणवत्ता का स्तर उंचा होगा। गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण नियमों को सख्त करने के बाद, संगठनों को रिकॉर्ड रखने, रिपोर्टिंग करने और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने को प्रमुख प्राथमिकता देनी चाहिए। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से गैर-सरकारी संगठन निरंतर बदलते नियामक ढांचे का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए बिना किसी बाधा के अपना विकास कार्य जारी रख सकेंगे।

सरकारी एफसीआरए निगरानी, गैर-सरकारी संगठनों के लिए नियमों को सख्त किया गया (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

FCRA का पूरा नाम क्या है?

एफसीआरए का मतलब है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी दान को विनियमित करता है।

सरकार ने गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्त पोषण संबंधी नियमों को सख्त क्यों किया है?

सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, जवाबदेही को मजबूत करना, विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना और नियामक निरीक्षण को बढ़ाना है।

एफसीआरए पंजीकरण किसे आवश्यक है?

विदेशी योगदान प्राप्त करने की इच्छुक किसी भी गैर सरकारी संगठन या संस्था को वैध एफसीआरए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

यदि कोई गैर सरकारी संगठन एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?

नियमों का पालन न करने पर जुर्माना, निलंबन, पंजीकरण रद्द करना या अन्य नियामक कार्रवाई हो सकती है।


क्या गैर सरकारी संगठन नए नियमों के तहत विदेशी दान प्राप्त करना जारी रख सकते हैं?

जी हां, गैर सरकारी संगठन विदेशी योगदान प्राप्त करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते वे एफसीआरए के सभी नियमों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

भारत के प्रमुख जलाशयों में भंडारण क्षमता घटकर कुल क्षमता का 28.28% रह गई है।

INDIA'S MAJOR RESERVOIR STORAGE

FALLS TO
28.28%
OF TOTAL CAPACITY



Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

भारत के प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण घटकर 28.28% रह गया है, जबकि जल आपूर्ति की स्थिति और भी खराब हो गई है। इससे पता चलता है कि भारत के प्रमुख जलाशयों में कुल भंडारण घटकर उनकी कुल क्षमता का 28.28% रह गया है, जो देश में जल उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। जलाशयों को सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इसलिए, जब भारत के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण घटकर कुल भंडारण का 28.28% रह जाता है, तो सरकार, किसान और जल संसाधन प्रबंधक इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। मानसून की बारिश से जलाशयों के भरने से पहले ही मौजूदा जल भंडार में जल संकट के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कई राज्यों को जल संरक्षण और कुशल जल संसाधन प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने होंगे।

मुख्य बातें: भारत के प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण घट रहा है

- वर्तमान जलाशय में मौजूद जल भंडार कुल भंडार का 28.28% है।
- भंडारण स्तर कम होने से सिंचाई कार्यों पर असर पड़ सकता है।
- कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण जल आपूर्ति में समस्या आ सकती है।
- यदि जलस्तर पर्याप्त न हो तो पनबिजली उत्पादन की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
- मानसून की बारिश से जलाशयों का पुनर्भरण बहुत महत्वपूर्ण होगा।
- जल संरक्षण के उपाय और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।
- जलाशयों का उपयोग पेयजल, उद्योगों और कृषि के लिए किया जाता है।
- प्रमुख नदी बेसिनों में से प्रत्येक में जल भंडारण की निगरानी लगातार जारी है।

प्रमुख जलाशय क्या हैं?

बड़े जलाशय बांधों और अन्य जल प्रबंधन सुविधाओं से युक्त विशाल जल भंडारण प्रणालियाँ हैं। ये जलाशय नदियों, वर्षा जल और जल संग्रहण क्षेत्रों से बहने वाले पानी को संग्रहित और संचित करते हैं।

उनकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं:

- कृषि के लिए सिंचाई
- पेयजल आपूर्ति
- जलविद्युत उत्पादन
- बाढ़ नियंत्रण
- औद्योगिक जल उपयोग
- पर्यावरण प्रवाह रखरखाव

जलाशय, बांध और जल संसाधन, पूर्व-वर्ष के प्रश्न

वर्ष

परीक्षा

सवाल

विकल्प

उत्तर

Current Affairs Capsule for 24 June 2026
(CLASS24)

202 4	एसएससी सीजीएल	भारत के प्रमुख जलाशयों में पानी के भंडारण की वर्तमान स्थिति कौन सा संगठन प्रकाशित करता है?	(ए) आईएमडी (बी) केंद्रीय जल आयोग (सी) नीति आयोग (डी) एफसीआई	(ख) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)
202 3	यूपीएस सी प्रिलिम्स	टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है?	(A) Alaknanda (B) Bhagirathi (C) Mandakini (D) Yamuna	(B) Bhagirathi
202 3	SSC CHSL	हीराकुड बांध किस नदी पर बना है?	(ए) गोदावरी (बी) कृष्णा (सी) महानदी (डी) तापी	(C) Mahanadi
202 2	आरआर बी एनटीपी सी	भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है?	(A) रावी (B) ब्यास (C) सतलुज (D) चेनाब	(सी) सतलुज
202 2	यूपीएस सी प्रिलिम्स	सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है?	(A) Godavari (B) Narmada (C) Krishna (D) Mahi	(बी) नर्मदा
202 1	एसएससी सीजीएल	भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?	(A) Tehri Dam (B) Hirakud Dam (C) Bhakra Dam (D) Idukki Dam	(B) Hirakud Dam
202 1	राज्य पीसीएस	नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है?	(A) कावेरी (B) कृष्णा (C) गोदावरी (D) महानदी	(बी) कृष्णा
202 0	एसएससी जीडी	भारत में सबसे ऊँचा बांध कौन सा है?	(A) Bhakra Dam (B) Tehri Dam (C) Hirakud Dam (D) Koyna Dam	(B) Tehri Dam
201 9	यूपीएस सी प्रिलिम्स	जलाशय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण हैं?	(A) सिंचाई (B) जलविद्युत (C) पेयजल आपूर्ति (D) उपरोक्त सभी	(D) उपरोक्त सभी
201 8	एसएससी सीपीओ	केंद्रीय जल आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?	(A) कृषि मंत्रालय (B) जल शक्ति मंत्रालय (C) पर्यावरण मंत्रालय (D) ग्रामीण विकास मंत्रालय	(ख) जल शक्ति मंत्रालय

निष्कर्ष: भारत के प्रमुख जलाशयों में जलस्तर गिरकर 28.28% हो गया है।

भारत के प्रमुख जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता का 28.28% तक कम हो जाना जल प्रबंधन और समय पर मानसून की बारिश की आवश्यकता को दर्शाता है। कृषि, पेयजल, जलविद्युत और आर्थिक स्थिरता के सभी प्रमुख

Current Affairs Capsule for 24 June 2026 (CLASS24)

घटकों में जलाशयों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। इससे पता चलता है कि भारत के प्रमुख जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता का 28.28% तक जलभराव हो चुका है, इसलिए सरकारों, समुदायों और जल उपयोगकर्ताओं को समय रहते जल संरक्षण, जल का कुशल उपयोग और दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। बेहतर प्रबंधन और पर्याप्त वर्षा से जलाशयों का जलस्तर बढ़ाया जा सकता है, जिससे देश की बढ़ती जल मांग को पूरा किया जा सके।

भारत में जलाशयों का जल भंडारण स्तर घटकर 28.28% हो गया है (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

भारत के प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण घटकर कुल क्षमता का **28.28%** हो जाने का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ यह है कि प्रमुख जलाशयों में संचित कुल जल उनकी कुल डिजाइन की गई भंडारण क्षमता का केवल 28.28% है।

जलाशयों का जलस्तर महत्वपूर्ण क्यों है?

जलाशय सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत उत्पादन, उद्योगों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं।

जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

भंडारण कम होने से सिंचाई की उपलब्धता कम हो सकती है, भूजल पर निर्भरता बढ़ सकती है और फसल उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।

जलाशयों में पानी के भंडारण में मानसून की क्या भूमिका होती है?

मानसून की बारिश जलाशयों को भर देती है और आगामी कृषि और शहरी मांग चक्रों के लिए जल स्तर को बहाल करने में मदद करती है।

क्या जलाशयों में जलस्तर कम होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है?

जी हां। जलविद्युत संयंत्र जलाशय के पानी पर निर्भर करते हैं, और भंडारण में कमी से बिजली उत्पादन क्षमता कम हो सकती है।

बिमल एन. पटेल प्रतिष्ठित आईटीएलओएस न्यायिक पैनल के लिए निर्वाचित हुए।



बिमल एन. पटेल का प्रतिष्ठित आईटीएलओएस न्यायिक पैनल में चुना जाना भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह चुनाव अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री शासन में भारत की विशेषज्ञता को विश्व स्तर पर मिली मान्यता का परिणाम है। बिमल एन. पटेल का प्रतिष्ठित आईटीएलओएस न्यायिक पैनल में चुना जाना समुद्री विवादों और समुद्री कानून से संबंधित विश्व की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक संस्थाओं में से एक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करता है।

मुख्य बातें: बिमल एन. पटेल प्रतिष्ठित आईटीएलओएस के लिए निर्वाचित हुए

- बिमल एन. पटेल आईटीएलओएस न्यायिक पैनल के लिए निर्वाचित हुए।
- इस चुनाव से वैश्विक समुद्री कानून में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
- इस प्रकार, यूएनसीएलओएस के अंतर्गत विवादों के लिए आईटीएलओएस अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थानों में भारत की बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण है।
- न्यायपालिका संबंधी पैनल महासागरों, समुद्र और महासागरीय सीमाओं और समुद्री संसाधनों से संबंधित मामलों को देखता है।
- यह चुनाव भारतीय कानूनी विशेषज्ञता के लिए एक वैश्विक समर्थन है।
- इससे वैश्विक मंच पर भारत की राजनयिक और कानूनी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

बिमल एन. पटेल कौन हैं?

- बिमल एन. पटेल एक प्रख्यात भारतीय न्यायाविद, शिक्षाविद और अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ हैं।
- वर्तमान में वे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं।
- संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य (2023-2027)।
- 2008-2019 तक गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निदेशक।
- वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं।
- उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कानून, समुद्री कानून, महासागर प्रशासन और विवाद निपटान शामिल हैं।
- उन्होंने भारत सरकार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय निकायों को कानूनी और समुद्री मामलों से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया है।
- उन्हें जून 2026 में (2026-2035 की अवधि के लिए) अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में चुना गया था।
- श्री हरीश साल्वे का चुनाव अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के स्तर पर भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

ITLOS क्या है?

- समुद्र कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण या आईटीएलओएस।
- यह महासागर सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, 1982 (यूएनसीसीएलओएस)) के अंतर्गत एक नई संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय प्रणाली है।
- आईटीएलओएस की स्थापना 1996 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी।
- यह न्यायाधिकरण जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में स्थित है।
- इसमें 21 स्वतंत्र न्यायाधीशों का एक पैनल शामिल है।
- न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- आईटीएलओएस समुद्री सीमाओं, नौवहन अधिकारों, मत्स्य पालन और समुद्री पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
- यह न्यायाधिकरण अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल क्षेत्र और गहरे समुद्र के संसाधनों से भी संबंधित मामलों को देखता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रों को समुद्री विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रेरित करना है।
- आईटीएलओएस अंतरराष्ट्रीय महासागर प्रशासन और समुद्र में कानून के शासन के विकास के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है।

आईटीएलओएस (समुद्री कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण) पीवाईक्यू

वर्ष	परीक्षा	सवाल	विकल्प	उत्तर
2024	यूपीएस सी प्रीलिम्स	अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) की स्थापना	(ए) यूएनएफसीसीसी (बी) यूएनसीसीएलओएस (सी) सीबीडी (डी) रामसर कन्वेंशन	(बी) यूएनसीसीएलओएस

**Current Affairs Capsule for 24 June 2026
(CLASS24)**

किस सम्मेलन के तहत की गई थी?

- | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--|---------------------------|
| 202
3 | एसएससी
सीजीएल | आईटीएलओएस का मुख्यालय किस शहर में है? | (A) जिनेवा (B) न्यूयॉर्क (C) हैम्बर्ग (D) द हेग | (सी) हैम्बर्ग |
| 202
3 | राज्य
पीसीएस | अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित विवादों से निपटता है: | (A) हवाई क्षेत्र (B) समुद्री कानून (C) मानवाधिकार (D) व्यापार | (बी) समुद्री कानून |
| 202
2 | यूपीएस
सी
प्रीलिम्स | UNCLOS को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है: | (A) समुद्री कानून सम्मेलन (B) जलवायु सम्मेलन (C) जैव विविधता सम्मेलन (D) जिनेवा सम्मेलन | (ए) समुद्री कानून सम्मेलन |
| 202
2 | SSC
CHSL | ITLOS किस देश में स्थित है? | (A) फ्रांस (B) जर्मनी (C) स्विट्जरलैंड (D) नीदरलैंड | (बी) जर्मनी |
| 202
1 | आरआर
बी
एनटीपी
सी | अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? | (A) 15 (B) 18 (C) 21 (D) 25 | (सी) 21 |
| 202
1 | राज्य
पीएससी | आईटीएलओएस के न्यायाधीशों का चुनाव निम्नलिखित अवधि के लिए होता है: | (A) 5 वर्ष (B) 6 वर्ष (C) 9 वर्ष (D) 12 वर्ष | (सी) 9 वर्ष |
| 202
0 | यूपीएस
सी
प्रीलिम्स | निम्नलिखित में से किन मुद्दों का निपटारा आईटीएलओएस द्वारा किया जा सकता है? | (A) समुद्री सीमाएँ (B) मत्स्य पालन विवाद (C) समुद्री पर्यावरण संरक्षण (D) उपरोक्त सभी | (D) उपरोक्त सभी |
| 201
9 | एसएससी
सीपीओ | अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ने कब परिचालन शुरू किया: | (ए) 1982 (बी) 1990 (सी) 1996 (डी) 2000 | (सी) 1996 |
| 201
8 | राज्य
पीसीएस | आईटीएलओएस एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित के तहत की गई है: | (A) विश्व व्यापार संगठन समझौता (B) संयुक्त राष्ट्र परिसमापन समझौता (C) संयुक्त राष्ट्र चार्टर (D) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चार्टर | (बी)
यूएनसीएलओएस |

आईटीएलओएस बेंच के लिए बिमल एन. पटेल की जीत पर निष्कर्ष

बिमल एन. पटेल का प्रतिष्ठित आईटीएलओएस न्यायिक पैनल में चुना जाना अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री प्रशासन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय न्यायशास्त्र के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण मजबूत होता है और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ती है। समुद्री कानून के विकास को दिशा देने और महासागर प्रशासन में उभरती चुनौतियों का सामना करने में भारत की बढ़ती भूमिका को आईटीएलओएस के प्रतिष्ठित न्यायिक पैनल के सदस्य के रूप में बिमल एन. पटेल के चुने जाने से बल मिलता है। इससे न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंच पर भारत की समुद्री साख मजबूत होती है, बल्कि इसके व्यापक समुद्री और राजनयिक उद्देश्यों को भी बल मिलता है।

भारतीय न्यायविद बिमल एन. पटेल आईटीएलओएस के लिए निर्वाचितपूछे जाने वाले प्रश्न

बिमल एन. पटेल कौन हैं?

बिमल एन. पटेल एक भारतीय विधि विद्वान और अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें आईटीएलओएस न्यायिक पैनल के लिए चुना गया है।

ITLOS का पूरा नाम क्या है?

आईटीएलओएस का पूरा नाम इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है।

आईटीएलओएस की भूमिका क्या है?

आईटीएलओएस समुद्री कानून, महासागर प्रशासन, समुद्री संसाधनों और समुद्री सीमाओं से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।

बिमल एन. पटेल का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है?

यह चुनाव अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थानों में भारत के प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है और इसकी वैश्विक कानूनी स्थिति को बढ़ाता है।

ITLOS कहाँ स्थित है?

आईटीएलओएस का मुख्यालय जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित है।